

III. विविध/उपाकियर/भू-रा/2017/1820

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

रेस्टोरेशन

/2017

201

1. सूर्यभान सिंह जादौन पुत्र श्री ओमकार सिंह
2. श्रीमती पुष्पा जादौन पत्नी श्री सूर्यभान सिंह
3. मनोज सिंह जादौन पुत्र श्री सूर्यभान सिंह
4. वर्षा जादौन पत्नी श्री मनोज सिंह
5. शिवप्रताप सिंह पुत्र श्री सूर्यभान सिंह समस्त निवासीगण -ग्राम हीरापुर तहसील सवलगढ जिला मुरैना म.प्र.

.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. कप्तान पुत्र श्री छोटे
2. श्रीपति पुत्र सम्पतिया
3. गुनेश पुत्र सम्पतिया
4. सुल्तान पुत्र सम्पतिया
5. जतन पुत्र मुल्ला
6. तिनकी पुत्र मुल्ला
7. रनवीर सिंह पुत्र नाथू सिंह
8. दयाल सिंह पुत्र रनवीर सिंह समस्त निवासीगण ग्राम हीरापुर तहसील सवलगढ जिला मुरैना म.प्र.

.....अनावेदकगण


आवेदन वास्ते प्रकरण को पुनःरेस्टोरेशन किये जाने वावत भू-राज्य संहिता

1959 की धारा 35 व सहपटित धारा 32 के तहत

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर से आवेदनपत्र निम्नानुसार है। :-

1. यहकि, आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी क 2275/एक/2014 प्रस्तुत की गई थी जो निगरानी अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड व अनावेदक पक्ष की तामील हेतु चल रही थी ।



राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/विविध/मुरैना/भू-रा./2017-1820

स्थान  
दिनांक

तथा


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभा  
षक आदि के  
हस्ताक्षर

22.6.17

आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित होकर निवेदन किया गया है कि प्रकरण क्रमांक 2275-एक/14 अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। अधिवक्ता द्वारा बताया पूर्व में प्रकरण की बहुत खोज की लेकिन वह नहीं मिला। इसलिये प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त हो गया है।

2- आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण क्रमांक 2275-एक/14 आदेश दिनांक पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण रैस्टोर्ड किया जाता है। प्रकरण दा0 द0 हो।

  
सदस्य

